



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-19.06.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के प्रयास में अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा ।

थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0319/2012 धारा 307 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त स्वराज सिंह पुत्र स्व0 रामाज्ञा सिंह निवासी सिंधोरिया पोखरी थाना मंडुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मंडुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-18.06.2024 को माननीय न्यायालय ADJ-7 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त स्वराज सिंह उपरोक्त को अंतर्गत धारा 307 भा0द0वि0 में 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।